दिनांक 26/02/2018 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित। उभय पक्ष के वकीलो की बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण की ग्राम धुमणिया पटवार हल्का मांथुगामडा पाल तहसील डूंगरपुर में खाता संख्या 89 नई 15 पुरानी कुल खसरा 12 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थिति हैं जिसके संबंध में अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियत 1956 एक वाद इस न्यायालय मे जैरकार है, खातेदर होने के कारण वाद में प्राथमिक रूप से सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर शान्तिपूर्वक काश्त करते आ रहे है तथा इसमे मकान बनाया है । इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष मे हैं । वकील प्रार्थीगण द्वारा आगे बताया गया कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नही हैं फिर भी विपक्षीगण दिनांक 15/07/2016 को प्रार्थीगण के खेत मे आ गये तथा प्रार्थीगण का काम रूकवा दिया । प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की भूमि में प्रवेश कर तरह–तरह से परेशान कर रहे एवं धमकिया दे रहे है। इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जावे कि प्रार्थीगण को उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न करे अन्यथा प्रार्थीगण को अपूरणीय खाते होगी ।

वकील अप्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के ही कब्जे काश्त खाते की नही होकर पुश्तेनी है, जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का शामलियात पुश्तेनी मौखिक बटवारा होकर मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी काबिज काश्त रहे है । वाद वर्णित कुछ खसरा पर अन्य व्यक्तियो के मकानात बने हुए है तथा कुछ खसरे तालाब पेटे डूब क्षेत्र मे आ रहे हें जिस पर कोई कब्जा काश्त नही कर रहा हें । वकील अप्रार्थीगण द्वारा बताया गया कि इस संबध मे मूल पत्रावली में पटवारी हल्के की मौका रिपोर्ट शामिल हें । अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से ओर अधिक विवाद बढने की स्थिति आ जायेगी एवं विपक्षीगण का घर से घूमना फिरना मुश्किल हो जायेगा। एक अन्य जगह मौजा धुमणिया मे खाता संख्या 90 नई 16 पुरानी सभी की शामलियात खातेदारी जमीन है वहा पर भी मौखिक बंटवारे के हिसाब से ही कब्जे काशत करते आ रहे है। प्रार्थीगण के पिता सबसे बडे होने से पहले जमाने मे कुछ जमीन अप्रार्थीगण की प्रार्थीगण के नाम दर्ज हो गई ।

मैने पत्रावली मे संलग्न प्रार्थना पत्र, जबाव एवं दस्तावेज का अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थी एवं विपक्षीगण की बहस पर मनन किया । पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी संवत 2069–2072 की प्रति के अनुसार ग्राम धुमणिया पटवार हल्का माथुगामडा पाल के खाता न. 89 नया 15 द्वारा कुल किता 12 रकबा 17 बीघा 10 बिस्वा के प्रार्थीगण खातेदार है। मुल पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट अनुसार– सम्पूर्ण खाता न. 89 प्रार्थीगण के नाम दर्ज हैं। मौके पर खसरा न 56 रकबा 1 बीघा 7 बीस्वा श्री जवाहरलाल पिता धुला के कब्जे मे है। एवं वर्तमान मे काश्त कर रहा है, खसरा न 268 रकबा 5 बीस्वा खसरा 385 रकबा 5 बीस्वा खसरा 425 रकबा 5 बीस्वा खसरा न 1088 रकबा 12 बीस्वा खसरा 1089 रकबा 13 बीस्वा खसरा 878 रकबा 17 बीस्वा खसरा न 880 7 बीस्वा का सम्पूर्ण रकबा तालाब मे जलमग्न है। पंचो के अनुसार खसरा न 268, 880 मे पूर्व मे जवाहर पिता धुला का कब्जा होना बताया। खसरा न 385,425,878,1088,1089 आदि खसरो पर 1/3 हिस्से पर जवाहर पिता धुला का कब्जा एंव 1/3 पर लालुराम पिता थावरा एवं 1/3 पर जयानारायण पिता थावरा का हिस्सा के कब्जे मे है तथा वर्तमान मे पूर्ण रकबा तालाब मे जलमग्न है। खसरा न 6884/31 रकबा 3 बीघा खसरा न 6885/31 रकबा 6 बीघा खसरा न 7007/367 रकबा 19 बीस्वा खसरा न 7038/16 रकबा 3 बीघा एलोटमेटी है। नक्शा लठठा कटा फटा व जीर्णशीर्ण होने से तथा आस पास कोई सेटलमैन्टी पोईट नही होने से मौका जांच संभव नही है। इस प्रकार मौका रिपोर्ट स्पष्ट नही है। अतः मै राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिती बनाये रखना उचित समझता हूं।

अतः आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्ष वादग्रस्त भूमि के संबध मे राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner